भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्याः 29

उत्तर देने की तारीखः 24.06.2019

नई शिक्षा नीति

***29. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः**

श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2019 की घोषणा की है, यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा क्या सरकार ने इस संबंध में समस्त हितधारकों को विश्वास में लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है और यदि हां, तो प्रारूप एनईपी, 2019 प्रारूप एनईपी, 2018 से किस प्रकार भिन्न है तथा इस नीति में सम्मिलित संशोधन का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे संशोधनों के क्या कारण हैं;

(ग) तमिलनाडु सहित समूचे देश में उक्त नीति के कार्यान्वयन हेतु संस्वीकृत की जाने वाली संभावित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उक्त नीति के तहत समस्त राज्यों में अनिवार्य रूप से त्रिभाषा सूत्र लागू करने तथा हिन्दी को सभी राज्यों में अनिवार्य विषय बनाने का विचार है, यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों ने इस सूत्र का विरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या प्रस्तावित नीति रोज़गारोन्मुखी भी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा उक्त नीति के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है तथा इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(च) क्या सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार करने हेतु विशेष कदम उठाये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

नई शिक्षा नीति के संबंध में डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे और श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा दिनांक 24.06.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 29 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): डॉ. के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदे तैयार करने हेतु गठित समिति ने मंत्रालय को दिनांक 31.05.2019 को अपना मसौदा सौंप दिया है। मसौदे को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर हितधारकों की टिप्पणियों के लिए अपलोड किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों की जांच करने के बाद ही सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ एक कार्यान्वयन योजना बनाई जाएगी जिसमें विशिष्ट पहल, निवेश और परिणाम शामिल होंगे।

(घ): त्रिभाषा सूत्र को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में अपनाया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसे दोहराया गया है। मसौदा एनईपी 2019 के पैरा 4.5 में भाषा की शक्ति और बहु-भाषा तथा शुरूआती चरणों में स्थानीय भाषा/मातृ भाषा में शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, धारा 4.5 की विभिन्न उप-धाराएं बच्चों की संज्ञानात्मक योग्यताओं में वृद्धि करने के लिए और अधिक भाषाओं को सीखने के महत्व, उन व्यक्तियों के लिए द्वीभाषीय दृष्टिकोण जिनकी भाषा अनुदेश के प्राथमिक माध्यम से भिन्न है, स्कूलों में तीन अथवा उससे अधिक भाषाओं की जानकारी और सांकेतिक भाषा के मानकीकरण से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा त्रिभाषा सूत्र को उसकी भावना के अनुरूप कार्यान्वयन के महत्व की पुन: पुष्टि करते हुए मसौदे में भाषाओं के विकल्प के संबंध में लोचशीलता का प्रस्ताव है।

(ड.): प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में अन्य बातों के साथ-साथ सभी शैक्षिक संस्थानों-स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने और 2025 तक कम से कम 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराना है जिसमें शैक्षिक संस्थानों और तकनीकी संस्थानों एवं उद्योग के मध्य सहयोग के माध्यम से सहायता मिलेगी। प्रत्येक शैक्षिक संस्थान ध्यानपूर्वक कुछ क्षेत्र चुनेगा जो वह उस क्षेत्र में उपलब्ध नौकरियों के विश्लेषण के आधार पर प्रदान करना चाहेगा। व्यावहारिक कौशल के विकास और एक व्यापक शिक्षा के साथ-साथ सम्बद्ध सैद्धांतिक ज्ञान पर फोकस रहेगा। इसमें एक भविष्य की रोजगार स्थिति के लिए अपेक्षित 21वीं शताब्दी की क्षमताओं को विकसित करने के लिए विभिन्न विषयों के एकीकरण के साथ एक सुदृढ अवरस्नातक उदार शिक्षा शामिल करने का भी प्रस्ताव है- जैसे तर्कसंगत चिंतन, संचार, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, सांस्कृतिक साक्षरता, वैश्विक दृष्टिकोण, टीमवर्क, नीतिपरक तर्कशक्ति और सामाजिक दायित्व जिससे न केवल उत्कृष्ट कर्मचारी बल्कि उत्कृष्ट नागरिक और समुदाय भी तैयार होगा।

(च): वर्तमान में पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार और संशोधन करने के साथ-साथ शैक्षिक विकास में सामाजिक, जेंडर और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से अनेक प्रयास और योजनाएं चलाए जा रही हैं। प्रारूप एनईपी, 2019 में शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक रूप से वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को शामिल करने के लिए अपेक्षित प्रयासों की भी सिफारिश की गई है जिसमें देश भर में लक्षित वित्तपोषण के साथ शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा जोन तैयार करना शामिल होगा।